भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2080
जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है
21 फाल्गुन, 1946 (शक)

'भाषिणी' एप का प्रयोग

2080. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री महेश कश्यप:
श्री प्रवीण पटेल:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार 'भाषिणी' एप के उपकरणों और विशेषताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मियों और स्वयंसेवकों को किस प्रकार प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है;

(ख) आयोजन के दौरान बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 'भाषिणी' एप की सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार महाकुंभ जैसे भावी आयोजनों के लिए 'भाषिणी' एप के भाषिक आधार को 11 भाषाओं से और आगे बढ़ाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) : भाषिणी डिजिटल इंडिया के तहत एक सरकारी पहल है, जिसका नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय ने किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को कई भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए वास्तविक समय अनुवाद और भाषण मान्यता समर्थन प्रदान करता है। स्वचालित भाषण मान्यता (एएसआर), न्यूरल मशीन अनुवाद (एनएमटी), टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस) और लिप्यंतरण को एकीकृत करके, भाषिणी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाषाई समावेशिता सुनिश्चित करती है, जिससे शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मीडिया जैसे क्षेत्रों को लाभ होता है। यह पहल नवीन भाषा-आधारित एआई अनुप्रयोगों के निर्माण में स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और डेवलपर्स का भी समर्थन करती है। भाषिणी केस-टू-केस आधार पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए उपयोगकर्ता संगठनों और लाइन मंत्रालयों के साथ सहयोग करती है। इस समर्थन में मुख्य रूप से प्रशिक्षण सामग्री डिजाइन करना और "ट्रेन-द-ट्रेनर" कार्यशालाएं आयोजित करना शामिल है। भाषिणी विभिन्न स्तरों पर संरचित कार्यशालाएं प्रदान करती है, जो इसके समाधानों के एकीकरण से पहले, दौरान या बाद में आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, भाषिणी विभिन्न ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सत्र आयोजित करती है, जिसमें एएसआर, टीटीएस, एनएमटी और लिप्यंतरण सहित अपनी विविध सेवाओं को शामिल किया जाता है।

(ख): भाषिणी में एएसआर, एनएमटी और टीटीएस के लिए एआई मॉडल हैं। इन सेवाओं को बुजुर्गों और दिव्यांग समूह वाले व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों को बहुभाषी अभिगम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ग) और (घ): जी हां, भाषिणी मिशन के तहत, संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में अंग्रेजी से भाषा अनुवाद सहायता उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 के दौरान, भाषिणी सेवाओं को बहुभाषी संचार और सहायता को बढ़ाने के लिए चैट बॉट, डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड और महाकुंभ के लिए पुलिस मोबाइल ऐप सहित विभिन्न प्रमुख उपयोग के मामलों में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया था।

*****